

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2259 /बदायूँ/21110/2016, दिनांक, लखनऊ, मई 04, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : बदायूँ में चन्दौसी-बदायूँ मार्ग (एस0एच0-43) किमी0 59 पर ग्राम-मुडिया के खसरा सं0-210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06776 हे0 (संशोधित 0.075028 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवापनिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/10/2017/एफसी/13, दि0 06.04.17,
उ0प्र0शासन का पत्रांक-भा0स0-69/14-2-2017-800(198)/2016, दि0 13.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, बरेली के पत्रांक-3850/14-1, दिनांक 24.04.2017 द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे दो प्रति में एतत्सह संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ।

(वाई0एस0के0शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।